

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 12, गुरुवार, शाके 1948- अप्रेल 02, 2026 Chaitra 12, Thursday, Saka 1948- April 02, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (गुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 18, 2026

संख्या एफ.27(क)(31)गृह-2/2024 :-राज्य सरकार इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023 का अधिनियम संख्या 46) की धारा 2 सपठित राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 14) की धारा 6, 7, 8, 11, 16 व 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस जिला बालोतरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस वृत्त, पुलिस थाना व पुलिस चौकियों का क्षेत्राधिकार एवं पुलिस बल पर नियन्त्रण व निर्देशन निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	उप अधीक्षक	पुलिस थाना	पुलिस चौकी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा	बालोतरा	1 बालोतरा	-
		2 जसोल	1 नाकोडा 2 जसोल
		3 महिला थाना	-
	पचपदरा	1 पचपदरा	1 पचपदरा 2 पाटोदी 3 दूधवा
		2 कल्याणपुर	-
		3 मण्डली	-
		4 गिडा	केसुम्बला
	सिवाना	1 सिवाना	1 पादरु 2 मोकलसर
		2 समदडी	1 सांवरडा 2 खण्डप
		3 सिणधरी	1 पायला कलां
	गुडामालानी	1 गुडामालानी	1 रामजी का गोल 2 बाण्ड
		2 धोरीमन्ना	-
		3 रागेश्वरी गैस टर्मिनल	-

1. जिला बालोतरा के साईबर पुलिस थाने का पर्यवेक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा द्वारा किया जावेगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

बच्चू सिंह मीना,
सहायक शासन सचिव, गृह।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।